

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 8-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर, R.A.S.

प्रकरण संख्या:-26/2014

दायर दिनांक:-26.03.2014

जीसीएमएस नं. 2010/00112

- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| 1. मोती पुत्र रघुवर | } | जाति ब्राह्मण निवासी बाईजट्ट |
| 2. गेमती पत्नि मोती | | तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 |

-----वादीगण-02

बनाम

1. ग्राम पंचायत बाईजट्ट जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बाई जट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0।
2. जिला कलक्टर जिला करौली राज0।


-----प्रतिवादीगण-02

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 26/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वादी ने इस संबंध में सम्पूर्ण स्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस प्रकार वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करने में असफल रहा है एवं उक्त प्रकरण गैर खातेदारी से खातेदारी लेने के संबंध में है वादीगण संबंधित सक्षम प्राधिकारी के यहा आवेदन कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 खारिज किया जाता है। पक्षकाराण अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.11.2024 को यह डिकी जारी की गई।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

